



पूर्व मध्य रेल



समस्तीपुर मंडल  
तृतीय पेंशन अदालत, दिनांक – 09.11.2023  
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि – 31.10.2023  
अधिसूचना

पेंशन परिवारों के निष्पादन के लिए समस्तीपुर मंडल में इस वर्ष का तृतीय "पेंशन अदालत 2023" का आयोजन दिनांक 09.11.2023 (गुरुवार) को, 16:00 बजे से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/समस्तीपुर में की जायेगी। पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपने पेंशन से सम्बन्धित परिवार का पूरा विवरण, सादे कागज पर, निम्न प्रारूप के अनुसार भर कर मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर को EGRS CELL में/डाक अथवा [email-pensionadalatspj@gmail.com](mailto:email-pensionadalatspj@gmail.com) के द्वारा दिनांक 31.10.2023 (मंगलवार) तक प्रेषित कर सकते हैं।


01. आवेदक का नाम :-
02. गू0पू0 कर्मचारी का नाम:-
03. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल :-
04. गू0पू0 कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध :-
05. वर्तमान पता :-
06. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि :-
07. सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य) :-
08. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान :-
09. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रण अधिकारी :-
10. पेंशन भुगतान आदेश सं0 (P.P.O.No. की स्पष्ट प्रति संलग्न करें) :-
11. बैंक का अद्यतन खाता की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें आई.एफ.एस. कोड एवं खाता संख्या अंकित हो :-
12. शिकायतों का विस्तृत विवरण :-
13. मोबाईल न0-

आवेदक का हस्ताक्षर

पेंशन संबंधी परिवार, उपरोक्त प्रारूप में भर कर बंद लिफाफा में, जिसके उपर "तृतीय पेंशन अदालत" दिनांक 09.11.2023 लिखा हो। उपरोक्त संबंधित पते पर EGRS CELL में/डाक अथवा [email-pensionadalatspj@gmail.com](mailto:email-pensionadalatspj@gmail.com) पर दिनांक 31.10.2023 तक अथवा इसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए। देर से प्राप्त आवेदन तथा वैसी शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन बढ़ोत्तरी आदि, 'पेंशन अदालत' के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।

सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष या अधिक पूरा कर चुके पेंशनर कृपया ध्यान दें:-


सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कम्प्यूटेशन (पेंशन संराशीकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन संराशीकरण) के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरक पदाधिकारी (अर्थात बैंक/डाकघर आदि) से सीधे सम्पर्क करें।

  
(दिलीप पासवान)  
मंडल कार्मिक अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर  
दिनांक- 13.10.2023

  
13/10/2023  
DMS

संख्या: का/207/समापक भुगतान/पेंशन अदालत 2023/XIII  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. निजी सचिव- I/प्रमुकाधि- प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. निजी सचिव- I/मरेप्र- मरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
03. गोपनीय सहायक/ अमरेप्र I एवं अमरेप्र II - अमरेप्र I एवं अमरेप्र II महोदय के सादर सूचनार्थ।
04. वमविप्र/सम0।
05. वमवाप्र/सम0- वे कृपया इसका प्रकाशन स्थानीय समचार पत्रों में कराये जाने की व्यवस्था करें।
06. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकोष्ठ - वे कृपया इसे वेबसाईट पर अपलोड करें।
07. कार्याधी/ईजीआरएस सेल।
08. मंडल मंत्री - ईसीआरकेयू, अजा- अजजा एवं पेंशनर एशो0/समस्तीपुर मंडल।
09. सूचना पट्ट।

  
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का0)  
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

  
13/10/2023  
DMS